कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना।

4 (1) (ख)

(i)	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य-	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाता सूची के बनाने तथा राष्ट्रपति/ उपराष्ट्रपति, राज्य सभा/लोक सभा और विधान परिषद/विधान सभा के निर्वाचनों से संबंधित कार्य सम्पादित करना है।
(ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य-	निर्वाचन सम्बन्धी सभी शक्तियां निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत निहित हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यो का अनुश्रवण आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत किया जाता है।
(iii)	निर्णय लेने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के स्रोत भी सम्मिलित है-	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/ नियमों तथा अनुदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। आयोग की संस्तुति से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नियुक्त होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्यरत अधिकारी विभिन्न कार्यक्रमों का जिलों से अनुश्रवण करते हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आयोग को यथाआवश्यकता रिपोर्ट भेजते हैं।
(iv)	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान-	भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को कार्य आवंटित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारी आवंटित कार्य को समयबद्ध रूप से निस्तारित करते हैं।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियें द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख-	निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाये गये नियम, अनुदेश एवं निर्देशिका का अनुपालन किया जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित नियम, विनियम, अनुदेश आदि लागू होते हैं।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण-	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका आदि जिनका विवरण भारत निर्वाचन आयोग की वेवसाइट www.eci.gov.in पर उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना।

4 (1) (ख)

(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या नीति उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं-	भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो में जन साधारण का सहयोग/परामर्श लिये जाने का प्राविधान है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली निर्वाचन नामावलियों तथा मतदाता फोटो पहचान-पत्र तथा निर्वाचनों के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता है और इसमें जनता का सहयोग लिया जाता है।
(viii)	एसे बोर्डो परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या एसी बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण-	शून्य
(ix)	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका-	निर्देशिका संलग्न है। (तालिका-I)
(x)	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों के यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो-	निर्देशिका संलग्न है। (तालिका-II)
(xi)	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट-	निर्वाचक नामावली की तैयारी तथा छपाई, मतदाता फोटो पहचान-पत्र और समय-समय पर सम्पादित होने वाले निर्वाचनों के लिये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रथमतः राज्य सरकार धनराशि उपलब्ध कराती है। यह धन आयोजनेत्तर पक्ष से प्राप्त होता है। तत्पश्चात इसका अंशदान के प्रतिशत की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से की जाती है।

अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना।

4 (1) (ख)

(xii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित हैं:-	इस विभाग द्वारा किसी सामाजिक कार्यकलाप का कार्यान्वियन नहीं किया जाता है।
(xiii)	अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्रप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां-	शून्य
(xiv)	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों-	भारत निर्वाचन आयोग की वेवसाइट www.eci.gov.in तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध है।
(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है-	मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, चतुर्थ चल, विकास भवन का सभाकक्ष- (कक्ष संख्या-410 समय अपराह्न 03 से 05 बजे)
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियें के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां-	संलग्न है। (तालिका-III)
(xvii)	ऐसी अन्य सूचनाएं जो विहित की जायें-	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसी अन्य सूचनाओं के विहित किये जाने के उपरान्त उसे यथासमय अपडेट किया जायेगा।